पंजीकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
केंद्रीय कार्यालय : 3, मार्बल आर्च, सेनापति बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016
+91 22 24306321/24378866 24313938 abvpkendra@gmail.com www.abvp.org

दि. 15 सितंबर 2024

प्रेस विज्ञप्ति

भेषजी महाविद्यालयों में अभाविप द्वारा उठाई गई काउंसलिंग की मांग को मिली मंजूरी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, द्वारा भेषजी महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय भेषजी परिषद (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया) को ज्ञापन दिया गया था। जिसमें अभाविप की मांग थी कि जो महाविद्यालय पूर्व से ही मान्यता प्राप्त हैं उनमें काउंसलिंग प्रारंभ की जाए, नए भेषजी महाविद्यालय जिनमें निरीक्षण होने के बाद मान्यता प्राप्त हो चुकी है उनमें भी शीघ्र काउंसलिंग शुरू की जाए, भेषजी महाविद्यालय को मान्यता देने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक की जाए, इसके साथ ही काउंसलिंग दो स्तर पर की जाए जिससे भेषजी (फार्मेसी) में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का अहित न हो।

अभाविप की तरफ से काउंसलिंग को दो चरण में कराने की मांग के पीछे यह उद्देश्य है कि जिन महाविद्यालयों को 30 सितंबर से पहले मान्यता प्राप्त हो चुकी है, उनमें काउंसलिंग प्रक्रिया को शीघ्र ही शुरू किया जाए जिससे छात्रों को प्रवेश के लिए विलंब न हो। जिन महाविद्यालयों को 30 नवम्बर के बाद मान्यता प्राप्त हो उनमें छात्रों की सुविधा को देखते हुए दो चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाए। अभाविप को यह सूचित करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि अभाविप द्वारा छात्रों के हित में उठाई गई इस मांग पर भारतीय भेषजी परिषद द्वारा स्टेट एडमिशन कमेटी को एक परिपत्र जारी किया गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि जो भी महाविद्यालय मान्यता प्राप्त कर चुके हैं उनमें सत्र 2024-2025 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरु की जाए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिए गए इस फैसले का अभाविप स्वागत करती है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा, "भेषजी परिषद द्वारा फार्मेसी छात्रों के हितों को देखते हुए त्वरित रूप से अभाविप की मांगों पर सकारात्मक अधिसूचना जारी करना एक अभिनंदनीय कदम है। इस फैसले से फार्मेसी छात्रों की भेषजी महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया समय रहते पूरी की जा सकेगी।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगम्बर पवार द्वारा जारी की गई है।)